

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

37 तारीख दायर 10/08/2020 दिनांक निर्णय 09/09/2020

उनवान

दालका अनावड़ा

बनाम गवर सिंह

अपने पत्रावली मु.-नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।

दालका अनावड़ा बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207.7 का नया कब्जा होना साबित होता है।

अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

दालका अनावड़ा है कि-

श्री गवर सिंह

पुत्र/पत्नी

गोपाल सिंह राजपूत

राजपूत

निवासी

अनावड़ा

खसरी नं. 652

रकबा

0.002

किस्म

सिवायचक

वाके ग्राम.

अनावड़ा से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.004 की

50

गुणा में मु

100

रुपये

कायमी कराई जावें

अतिक्रमी की पालनार्थ लिखा जावें।

अतिक्रमी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)

स. स. 4 वर्ष 2020-21
ठ संख्या 25 पर सि. च. सं. 01/-
कायम किये गये।

पत्र
त. स. लेखाकार